संख्या : 111/38-6-21-165एलसी/2020टी.सी.-III

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
यू.पी.एस.आर.एल.एम.,
गोमतीनगर, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक :25 फरवरी, 2021

विषय : बी0सी0-सखी को इक्युपमेन्ट तथा ओवर ड्राफ्ट हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3856/1258/आजीविका/एम0एफ0एफ0आई0/2020-21, दिनांक 08.02.2021 जिसके माध्यम से बी0सी0-सखी कार्यक्रम को रोलआउट किए जाने हेतु 02 प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुराधे किया गया है का संदर्भ लें।

2. बी0सी0-सखी कार्यक्रम योजनान्तर्गत 50,000/- रूपये की धनराशि, इक्युपमेन्ट के क्रय हेतु इन्ट्रेस्ट फ्री लोन के रूप में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत 25,000/- रूपये सेटेलमेन्ट एकाउण्ट में ओवर ड्राफ्ट के लिए भी अनुमन्य है। उपरोक्त धनराशि इन्ट्रेस्ट फ्री लोन के रूप में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बी0सी0-सखी को उपलब्ध कराया जाना है। इस प्रकार प्रत्येक बी0सी0-सखी को 75,000/- रूपये की धनराशि शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जानी है।

3. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में 06 बैंक/पार्टनर एजेंसीज चयनित की गयी है। इन बैंक/पार्टनर एजेंसीज द्वारा इनके क्षेत्र में तैनात होने वाली बी0सी0-सखी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इक्युपमेन्ट का स्पेशिफिकेशन एवं अनुमानित लागत उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त सूचनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं0	बैंक/पार्टनर एजेंसी का विवरण	आवंटित कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जनपद	उपलब्ध कराए गए एक्युपमेंट का स्पेशिफिकेशन व अनुमानित लागत
1	2	3	4
1	बैंक आफ बड़ोदा	1.अम्बेडकर नगर, 2. अमेठी, 3. अयोध्या, 4.सुलतानपुर, 5. बरेली, 6. पीलीभीत, 7.शाहजहांपुर, 8.गोरखपुर, 9.कानपुर देहात, 10.कानपुर नगर, 11.लखनऊ, 12.रायबरेली, 13. फतेहपुर, 14.प्रतापगढ़, 15.प्रयागराज, 16. वाराणसी	संलग्नक-1
2	फिनो पेमेन्ट बैंक	1. सोनभद्र, 2. मिर्जापुर, 3. महराजगंज, 4.कुशीनगर, 5. मुरादाबाद, 6.झांसी, 7.संतकबीर नगर, 8. बिजनौर, 9. हरदोई, 10.उन्नाव, 11.देवरिया	संलग्नक-2
3	पे नियरबाई	1. एटा, 2. आजमगढ़, 3. बलिया, 4. बदायू, 5. बहराइच, 6.गोण्डा, 7.बलरामपुर, 8.सीतापुर, 9. गाजीपुर	संलग्नक-3

Manoj

4	पेटीएम पेमेन्ट बैंक	1. बुलंदशहर, 2. श्रावस्ती, 3.मऊ, 4.कौशाम्बी, 5.जौनपुर, 6. मथुरा, 7.बागपत, 8.गाजियाबाद, 9.मेरठ,10.मुजफ्फरनगर,11.सहारनपुर,12.शामली	संलग्नक–4
5	मार्गदर्शक एवं मनीपाल टैक्नोलॉजी लि0	1.आगरा, 2.मैनपुरी, 3.अलीगढ़, 4. हाथरस, 5. कासगंज, 6. बांदा, 7.चित्रकूटधाम (करवी), 8.हमीरपुर, 9.महोबा, 10.जालौन, 11. ललितपुर, 12.औरैय्या, 13. इटावा, 14. फर्रूखाबाद, 15. कन्नौज, 16. चन्दौली	संलग्नक–5
6	एमएफएसएल–एयरटेल–जीवीआई	1. फिरोजाबाद, 2. बस्ती, 3.सिद्धार्थनगर, 4. बाराबंकी, 5. खीरी, 6. गौतमबुद्ध नगर, 7.हापुड़, 8. भदोही, 9. अमरोहा, 10.रामपुर, 11. सम्भल	संलग्नक–6

4. बी0सी0–सखी योजनान्तर्गत चयनित बैंक/पार्टनर एजेंसीज द्वारा इक्युपमेन्ट के स्पेशिफिकेशन क्रय, प्रक्रिया आदि पर दिनांक 04.02.2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा हुए विचार–विमर्श के दौरान उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि बिजनेस करेस्पॉडेन्ट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इक्युपमेन्ट के सिक्योरिटी फीचर्स सम्बन्धित बैंकों के विशिष्टियों (Specification) के अनुसार होते हैं और इन इक्युपमेन्ट को बैंक द्वारा बिजनेस करेस्पॉडेन्ट द्वारा प्रयोग में लाए जाने के पूर्व कस्टमाईज किया जाना आवश्यक होता है। बैंक/पार्टनर एजेंसियों द्वारा पूर्व से इस तरह के इक्युपमेन्ट के लिए मैन्युफैक्चरर/सप्लायर के साथ एग्रीमेन्ट भी है। उक्त के अतिरिक्त पार्टनर एजेंसीज/बैंक सही स्पेशिफिकेशन का इक्युपमेन्ट आवश्यकतानुसार टाईअप कर बी0सी0–सखी को बेहतर तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं।

5. चूँकि यू.पी.एस.आर.एल.एम. के द्वारा धनराशि स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध करायी जानी है और स्वंय सहायता समूह द्वारा यह धनराशि शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन के रूप में बी0सी0–सखी के एकाउण्ट में अन्तरित की जानी है। अतः बी0सी0–सखी को इक्युपमेन्ट स्व–विवेक से क्रय करने का अधिकार होगा, इस शर्त के साथ कि इक्युपमेन्ट उस जनपद के लिए चयनित बैंक/पार्टनर एजेंसीज एवं सम्बन्धित सेटेलमेन्ट बैंक की सिक्यूरिटी और कम्प्लायंश रिक्वारमेंट्स के अनुसार हो।

6. बी0सी0–सखी ट्रेनिंग के उपरान्त आई0आई0बी0एफ0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर बी0सी0–सखी के रूप में कार्य करने के लिए सर्टिफाई की जा रही हैं। अतः उनसे सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता विवरण एवं बी0सी0–सखी का बैंक खाता विवरण www.upsrlm.org पोर्टल पर सही तरीके से सत्यापित करते हुए अपलोड कराने की जिम्मेदारी उपायुक्त (स्वतः रोजगार) की होगी। सम्बन्धित बी0सी0–सखी के विषय में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होते ही प्रति बी0सी0–सखी के लिए रू0–75000/– की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह के खाते में स्थानान्तरित की जाएगी तथा वह बी0सी0–सखी के खाते में यथाशीघ्र अन्तरित हो यह सुनिश्चित करेगी। UPSRLM के प्रस्ताव, जिसमें इक्युपमेंट क्रय हेतु उपलब्ध कराई जा रही रू0–50,000/– की धनराशि में इक्युपमेंट क्रय के उपरान्त बचत की धनराशि बी0सी0–सखी द्वारा सेटलमेन्ट एकाउण्ट में ओवर ड्राफ्ट हेतु स्थानान्तरित करने को शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

<u>संलग्नक–यथोपरि ।</u>

भवदीय,

Manoj 25.2.21

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

संख्या : संख्या :111(1)/38–6–21–165एलसी/2020टी.सी.– III, तद्दिनांक

<u>प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –</u>

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, स्वतः रोजगार, उत्तर प्रदेश।
4. बैंक/पार्टनर एजेंसीज :– बैंक ऑफ बड़ौदा, फिनो पेमेंट बैंक, पे नियरबाई, पेटीएम पेंमेंट बैंक, मार्गदर्शक एवं मनीपाल टेक्नोलॉजी लि0 एवं एमएफएसएल–एयरटेल–जीवीआई।
5. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Manoj 25.2.21

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव